न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु0जा0 / अनु0ज0जा0, जहानाबाद।

<u>विशेष एस0सी0 / एस0टी0 वाद संख्या 91 / 2025</u>
परिवाद वाद सं0 – 34 / 2025
<u>कमलेश पासवान बनाम् शिव मोहन सिंह</u>

<u>26.05.2026</u> परिवाद वाद सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी कमलेश पासवान उपस्थित नहीं हुए और न हीं उसकी तरफ से उसका पक्ष रखने के लिए उसके अधिवक्ता हीं उपस्थित हुए।

इस परिवाद वाद के अवलोकन से विदित होता है कि यह परिवाद, परिवादी कमलेश पासवान की ओर से दिनांक 22.01.2025 को दाखिल किया गया था। उसके उपरान्त नियत विभिन्न तिथियों पर परिवादी न तो स्वयं उपस्थित हुए और न हीं उसकी तरफ से कोई पैरवी हीं की गई। अग्रेत्तर अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा इस परिवाद वाद के दाखिल करने से पूर्व बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 173(4) का भी अनुपालन नहीं किया गया है।

अग्रेत्तर अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले में परिवादी द्वारा न तो अपना सशपथ बयान कराया गया है और न हीं अपने समर्थन में कोई जॉच साक्षी को हीं प्रस्तुत किया गया। परिवाद के अवलोकन से भी वाद में अग्रेत्तर कार्रवाही करने का कोई पर्याप्त आधार दर्शित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त अभिलेख से ऐसा भी दर्शित होता है कि परिवादिनी को अपने इस वाद में कोई रूचि शेष नहीं रह गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में इस परिवाद वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि इस वाद को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा कराना सुनिश्चित करें।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा. / अनु.जन.जा.
जहानाबाद।

Web copy

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम

–सह–

विशेष न्यायाधीश अनु0जा0/अनु0ज0जा0, जहानाबाद।

<u>विशेष एस0सी0/एस0टी0 वाद संख्या 91/2025</u>

परिवाद वाद सं0 – 34/2025

<u>कमलेश पासवान बनाम् शिव मोहन सिंह</u>

Web copy